

## मौहल्लेवार निर्धारण मासिक किराया दर प्रति वर्गफुट की सूची

### भाग-1 आवासीय भवनों हेतु

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा - 174 (1) के खण्ड 4-क में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उ०प्र० नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली 2000 यथा संशोधित व्यवस्थाओं के अनुरूप नगर विकास अनुभाग - 7 की अधिसूचना सं०, यू.ओ. 204/9-7 2002-63ज/95 टी.सी. दिनांक 10 जनवरी, 2003 द्वारा संशोधित उ.प्र., नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन नियमवाली 2002) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत भवनों तथा सम्पत्तियों पर स्वकर निर्धारण, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के मथुरा क्षेत्र में पूर्व से प्रभावी प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दर को संशोधित एवं नये सम्मिलित क्षेत्रों के लिये मासिक किराये की दर के निर्धारण का प्रस्ताव जो निम्नवत् है। जिस पर समस्त भवन स्वामियों एवं जनसामान्य से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। नियत अविध के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

#### समूह (1) :-

नगर के समस्त वार्डों में क्षेत्रों/कालोनियों में जिनकी भूमि का अधिकतम मूल्य रु० 30 हजार रुपये प्रतिवर्ग मी० से अधिक है। उन क्षेत्रों में कारपेट एरिया/खुली भूमि की निर्धारित मासिक किराये की दर रूपया प्रति वर्गफुट निम्नांकित है:-

सडक की चौडाई	आर०सी०सी०/आर०बी०सी०	पक्का भवन गाटर पटिया	अन्य भवन	रिक्त भूमि/भूखण्ड
24 मीटर से अधिक	3.20	2.80	2.30	1.20
12 मीटर से 24 मीटर तक	2.80	2.50	2.10	1.00
12 मीटर से कम	2.50	2.30	2.00	0.80

#### सर्किल रेट रु. 30 हजार प्रति वर्गमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों एवं कालोनियों के नाम

(मथुरा क्षेत्र) सन्तोषपुरा, चाहकटौती, छगनपुरा, गोविन्द गंज, महोली की पौर, गली लुधियाना, दलपत खिडकी, शैशन गंज, कूचा सूनारन, बद्दी नगर, गली गुजराना, नई बस्ती, सुभाष नगर, मछली मण्डी, भैरो गली, मटिया गेट, मनोहर पुरा, गोपाल पुरा, अन्तापाडा, मीर गंज, गली बल्ला, सेठ बाडा, तिलक द्वारा, होली गेट, विकास बाजार, बहादुर पुरा, अम्बाखार, रांची बांगर, औरगाबाद बांगर, गली तिवारी, माता गली, सतघडा, मारू गली, गोल पाडा, गली दशावतार, गली वाली, विश्रामां घाट, कसेरट बाजार, स्वामी घाट, चौक बाजार, गली रावलिया, गली कसेरान, गली रामपाल, गली गुर्साइयन, भरतपुर गेट, बाल्मीक गली, शंकर गली, बृजनगर, बृजएन्क्लेव, गुरु नानक नगर, चौकी बाग बहादुर, डेम्पीयर नगर, मयूर विहार, हिम्मत पुरा, राजाराम पटटी, गली गंगा सिंह, चुँगी गली, माली पाडा, गोपाल गली, धौली प्याऊ, तिवारी का बाडा, शंकर गली (धौली प्याऊ), बिरजा पुर, प्रीति विहार, नरायन पुरी, चन्द्र पुरी, नरहौली, खटीक मौहल्ला, शिव पुरी, प्रताप नगर, शान्ती नगर, आदर्श नगर, बल्देव पुरी, मानस नगर, हरीनगर, शक्ति नगर, जनक पुरी, पटेल नगर, विजय नगर, सी०डी०एस०

12-3-18

## Policy to Revise property tax

नगर, द्वारिका पुरी, भूतेश्वर, महावीर नगर, कृष्णा नगर, विष्णु पुरी, देव नगर, आजाद नगर, दुर्गा पुरी, राधिका विहार, अम्बेडकर कालोनी, राधा नगर, डायविल नगर, मधुवन एन्क्लेव, जगन्नाथ पुरी, मल्लपुरा, गोविन्द नगर, महाविद्या, डीग गेट, अर्जुन पुरा, ठेक नारनौल, नया बॉस, मसानी, रानी मण्डी, सराय आजमाबाद, जयसिंह पुरा, नगर पंचवटी, सरस्वती कुण्ड,

(वृन्दावन क्षेत्र) माधव विला, गोशाला नगर, मथुरा दरवाजा, राधा निवास, तराश मन्दिर, गोविन्द देव, ब्रह्म कुण्ड, पत्थर पुरा, गोपीनाथ बाजार, गोपीनाथ नगला, कैमारवन, अटल वन, गाँधी मार्ग, प्रताप बाजार, लोई बाजार, वनखण्डी, रमण रेती, बॉके बिहारी कालोनी, सुनरक बांगर, वृन्दावन बांगर, अहीर पाडा, गोवर्धन गेट, अठखम्बा, रेतिया बाजार, चेतन्य विहार 2, गिराज बाजार, राजपुर बांगर, वृन्दावन बांगर, किशोर पुरा, गौतम पाडा,

#### समूह (2) :-

नगर के समस्त वार्डों में क्षेत्रों/कालोनियों में जिनकी भूमि का मूल्य रु० 10,000/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से अधिक व रु० 20,000/- प्रति वर्ग मीटर से कम है। उन क्षेत्रों में कारपेट एरिया/खुली भूमि की निर्धारित मासिक किराये की दरें रूपया प्रति वर्ग फुट निम्नांकित है-

सडक की चौडाई	आर०सी०सी०/आर०बी०सी०	पक्का भवन गाटर पटिया	अन्य भवन	रिक्त भूमि/भूखण्ड
24 मीटर से अधिक	2.80	2.50	2.10	1.00
12 मीटर से 24 मीटर तक	2.50	2.10	1.90	0.80
12 मीटर से कम	2.10	1.90	1.75	0.60

सर्किल रेट रु० - 20000/- से अधिक एवं रु० - 30,000/- प्रतिवर्ग मीटर तक वाले क्षेत्रों/कालोनियों के नाम

(मथुरा क्षेत्र) सुदामापुरी, भैस बहोरा, गोपाल पुरा, बंगाली घाट, धुव घाट, कम्पू घाट, जनरल गंज, मैनागढ, कृष्णापुरी, अमेरिकन मिशन, पुरानी छावनी, बाढपुरा, मुहालबरामद छावनी, सिविल लाईन, मई मिर्जापुर उर्फ दामोदर पुरा, राधामाधव कालोनी, गॉफ रोड, गाली मालियान, गली गंगा दयाल, गली कानूनगोयान, गली लोहारान, गली पातीराम, गली चौबदारन, गली अहेरियान, गली डालू, गली अहीर, गली ठठेरान, गली मेधा, बैरागपुरा, शाहगंज दरवाजा, द्वारकेश कालोनी, तेली पाडा, वृन्दावन दरवाजा, गरुघाट, लाला गंज, घाटी बहालराय, खारी कुओं, देव नगर, गोविन्द नगर सैक्टर ई०, बैंक कालोनी, राम नगर, ओम नगर, शास्त्री नगर, गाँधी नगर, श्री राधा कालिन्दी कुँज कालोनी, मोहन नगर, लक्ष्मी नगर, गायत्री नगर, शिवबाला नाथ नगर, कृष्णा पुरम, राधा पुरम, महोली, पाली खेडा, केशोपुर, मनोहर पुर, तन्तुरा, नवादा, मथुरा बांगर, औरगाबाद बांगर, आजमपुर, बाकल पुर,

(वृन्दावन क्षेत्र) धौरेरा बांगर, अहिल्या गंज, सन्त कालोनी, मण्डी बाजार, पुराना बाजार, सैयद बाजार, वाराह घाट, रुक्मणी विहार,

समूह (3) :- नगर के समस्त वार्डों में जिनकी सर्किल रेट रु० 10,000/-या उससे कम है, उन क्षेत्रों में कारपेट एरिया/खुली भूमि की निर्धारित मासिक किराये की दरें रूपया प्रति वर्ग फुट निम्नांकित है-

12-3-18

सड़क की चौड़ाई	आर०सी०सी० / आर०बी०सी०	पक्का भवन गाटर पटिया	अन्य भवन	रिक्त भूमि / भूखण्ड
24 मीटर से अधिक	2.25	2.00	1.75	1.00
12 मीटर से 24 मीटर तक	2.00	1.75	1.50	0.80
12 मीटर से कम	1.75	1.50	1.25	0.60

सर्किल रेट रु० - 20000/- प्रति वर्ग मीटर से कम वाले क्षेत्रों/कालोनियों के नाम

(मथुरा क्षेत्र) औरंगाबाद बांगर, औरंगाबाद खादर, शान्ती नगर, देव नगर, बाकलपुर, सतोहा, असगर पुर,

(वृन्दावन क्षेत्र) केशी घाट, बंशी वट, वृन्दावन खादर, ज्ञान गूदडी, कालीदह, मदन मोहन घेरा, तेहरा, कोटा,

नोट-

- उक्त वर्णित मौहल्लों के अतिरिक्त कोई नया मौहल्ला या छूटा हुआ मौहल्ला उसके पास के मौहल्ले के दरों के अनुसार सम्मिलित माना जायेगा।
- संशोधित निर्धारित मासिक किराये के अनुसार वार्षिक मूल्य की गणना के लिये उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 के निर्मांकित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।
  - कार्पेट एरिया की गणना धारा 174 (1) के साथ दिये गये स्पष्टीकरण एक के अनुसार की जायेगी।
  - मानक किराये के सम्बन्ध में धारा 174 (ख) के साथ दिये स्पष्टीकरण 2 तथा धारा 179 (घ) के प्राविधान में यथावत लागू रहेंगे।
  - भूमि एवं स्वामी द्वारा अध्यासित भवन तथा किराये पर चठाये गये आवासीय भवन के लिये छूट एवं बढोत्तरी के प्राविधान धारा 174 (2) के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।
  - अधिनियम की धारा 174 के अन्तर्गत दिये गये अपवादों एवं छूटों को छोड़ते हुये सामान्य कर नगर में स्थित सभी आवासीय भूमि एवं भवनों पर लगाया जायेगा।
  - बहुमंजिली इमारतों की दशा में उपरोक्त निर्धारित दरें ही लागू रहेंगी।
  - स्वकर निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र (क) गृहकर विभाग में उपलब्ध है, भवन स्वामी/अध्यासी प्रपत्र प्राप्त कर भरकर नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
  - स्वकर निर्धारण प्रपत्र व कर न जमा करने वाले प्रकरणों में नगर निगम द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में पेनल्टी सहित कर निर्धारण कर के वसूली की जायेगी।
  - उपरोक्त निर्धारित मासिक किराये की दर अनावासीय भवनों के लिये भी लागू होगी। जिसकी गणना सम्पत्ति कर नियमावली द्वितीय संशोधन 2013 में दिये गये गुणक के आधार पर की जायेगी।


(डा० उज्ज्वल कुमार)  
नगर आयुक्त

नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा  
दिनांक 15 मार्च 2018

संख्या :- भीजे/काकि०का०/नरि०म०पु०, मथुरा/२०१८

प्रतिलिपि :-

- मा० महापौर नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा की सेवा में सादर सूचनाार्थ।
- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक राजपथ में उपरोक्त निविदा सूचना अपने समाचार पत्र में एक दिन न्यूनतम स्थान पर पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित बिल मुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।



नगर आयुक्त  
नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा

# अमर उजाला

भागरा  
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

6

## मौहल्लेवार निर्धारण मासिक किराया दर प्रति वर्गफुट की सूची भाग-1 आवासीय भवनों हेतु

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा - 174 (1) के खण्ड 4-क में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उ०प्र० नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली 2000 यथा संशोधित व्यवस्थाओं के अनुरूप नगर विकास अनुभाग - 7 की अधिसूचना सं०, यू 204/9-7 2002-63ज/95 टी.सी. दिनांक 10 जनवरी, 2003 द्वारा संशोधित उ.प्र., नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन) नियमवाली 2002) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत भवनों तथा सम्पत्तियों पर स्वकर निर्धारण, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन मथुरा क्षेत्र में पूर्व से प्रभावी प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दर को संशोधित एवं नये सम्मिलित क्षेत्रों के लिये मासिक किराये दर के निर्धारण का प्रस्ताव जो निम्नवत् है। जिस पर समस्त भवन स्वामियों एवं जनसामान्य से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। नियत अविध के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

समूह (1) :-

नगर के समस्त वार्डों में क्षेत्रों/कालोनियों में जिनकी भूमि का अधिकतम मूल्य रु० 30 हजार रुपये प्रतिवर्ग मी० से अधिक है। उन क्षेत्रों में कार्पेट एरिया/खुली भूमि की निर्धारित मासिक किराये की दर रूपया प्रति वर्गफुट निर्मांकित है:-

सड़क की चौड़ाई	आर.सी.सी./ आर.बी.सी.	पक्का भवन गाटर पटिया	अन्य भवन	रिक्त भूमि भूखण्ड
24 मीटर से अधिक	3.20	2.80	2.30	1.20
12 मीटर से 24 मीटर तक	2.80	2.50	2.10	1.00
12 मीटर से कम	2.50	2.30	2.00	0.80

सर्किल रेट रु. 30 हजार प्रति वर्गमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों एवं कालोनियों के नाम

(मथुरा क्षेत्र) सन्तोषपुरा, चाहकटौती, छगनपुरा, गोविन्द गंज, महोली की पौर, गली लुधियाना, दलपत खिड़की, रौशन न कूचा सूनारन, बदी नगर, गली गुजराना, नई बस्ती, सुभाष नगर, मछली मण्डी, भैरो गली, मटिया गेट, मनोहर पुरा, गोपाल न अन्तापाडा, मीर गंज, गली बल्ला, सेठ बाडा, तिलक द्वारा, होली गेट, विकास बाजार, बहादुर पुरा, अम्बाखार, रांची बां औरंगाबाद बांगर, गली तिवारी, माता गली, सतघडा, मारु गली, गोल पाडा, गली दशावतार, गली वाली, विश्रामा घाट, करं बाजार, स्वामी घाट, चौक बाजार, गली रावलिया, गली कसेरान, गली रामपाल, गली गुर्साइयन, भरतपुर गेट, बाल्मीक ग शंकर गली, बृजनगर, बृजएन्क्लेव, गुरु नानक नगर, चौकी बाग बहादुर, डैम्पीयर नगर, मयूर विहार, हिम्मत पुरा, राजा पटटी, गली गंगा सिंह, चुंगी गली, माली पाडा, गोपाल गली, धौली प्याऊ, तिवारी का बाडा, शंकर गली (धौली प्याऊ), कि पुर, प्रीति विहार, नरायन पुरी, चन्द्र पुरी, नरहौली, खटीक मौहल्ला, शिव पुरी, प्रताप नगर, शान्ती नगर, आदर्श नगर, बल्देव न

**समूह (2) :-**

नगर के समस्त वार्डों में क्षेत्रों/कालोनियों में जिनकी भूमि का मूल्य ₹0 10,000/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से अधिक व ₹0 20,000/- प्रति वर्ग मीटर से कम है। उन क्षेत्रों में कारपेट एरिया/खुली भूमि की निर्धारित मासिक किराये की दरें रूपया प्रति वर्ग फुट निम्नांकित है-

सड़क की चौड़ाई	आर.सी.सी./ आर.बी.सी.	पक्का भवन गाटर पटिया	अन्य भवन	रिक्त भूमि/ भूखण्ड
24 मीटर से अधिक	2.80	2.50	2.10	1.00
12 मीटर से 24 मीटर तक	2.50	2.10	1.90	0.80
12 मीटर से कम	2.10	1.90	1.75	0.60

**सर्किल रेट ₹0 - 20000/- से अधिक एवं ₹0 - 30,000/- प्रतिवर्ग मीटर तक वाले क्षेत्रों/कालोनियों के नाम**

**(मथुरा क्षेत्र)** सुदामापुरी, भैस बहोरा, गोपाल पुरा, बंगाली घाट, ध्रुव घाट, कम्पू घाट, जनरल गंज, मैनागढ, कृष्णापुरी, अमेरिकन मिशन, पुरानी छावनी, बाढपुरा, मुहालबरामद छावनी, सिविल लाईन, मई मिर्जापुर उर्फ दामोदर पुरा, राधामाधव कालोनी, गॉफ रोड, गाली मालियान, गली गंगा दयाल, गली कानूनगोयान, गली लोहारान, गली पातीराम, गली चौबदारन, गली अहेरियान, गली डालू, गली अहीर, गली ठठेरान, गली मेघा, बैरागपुरा, शाहगंज दरवाजा, द्वारकेश कालोनी, तेली पाडा, वृन्दावन दरवाजा, गऊघाट, लाला गंज, घाटी बहालराय, खारी कुआँ, देव नगर, गोविन्द नगर सैक्टर ई0, बैंक कालोनी, राम नगर, ओम नगर, शास्त्री नगर, गॉंधी नगर, श्री राधा कालिन्दी कुंज कालोनी, मोहन नगर, लक्ष्मी नगर, गायत्री नगर, शिवबाला नाथ नगर, कृष्णा पुरम, राधा पुरम, महोली, पाली खेडा, केशोपुर, मनोहर पुर, तन्तुरा, नवादा, मथुरा बांगर, औरंगाबाद बांगर, आजमपुर, बाकल पुर,

**(वृन्दावन क्षेत्र)** धौरेरा बांगर, अहिल्या गंज, सन्त कालोनी, मण्डी बाजार, पुराना बाजार, सैयद बाजार, वाराह घाट, रूमगणी विहार,

**समूह (3) :-** नगर के समस्त वार्डों में जिनकी सर्किल रेट ₹0 10,000/-या उससे कम है, उन क्षेत्रों में कारपेट एरिया/खुली भूमि की निर्धारित मासिक किराये की दरें रूपया प्रति वर्ग फुट निम्नांकित है-

सड़क की चौड़ाई	आर.सी.सी./ आर.बी.सी.	पक्का भवन गाटर पटिया	अन्य भवन	रिक्त भूमि/ भूखण्ड
24 मीटर से अधिक	2.25	2.00	1.75	1.00
12 मीटर से 24 मीटर तक	2.00	1.75	1.50	0.80
12 मीटर से कम	1.75	1.50	1.25	0.60

**सर्किल रेट ₹0 - 20000/- प्रति वर्ग मीटर से कम वाले क्षेत्रों/कालोनियों के नाम**

**(मथुरा क्षेत्र)** औरंगाबाद बांगर, औरंगाबाद खादर, शान्ती नगर, देव नगर, बाकलपुर, सतोहा, असगर पुर, **(वृन्दावन क्षेत्र)** केशी घाट, बंशी वट, वृन्दावन खादर, ज्ञान गूदडी, कालीदह, मदन मोहन घेरा, तेहरा, कोटा,

**नोट-** 1. उक्त वर्णित मौहल्लों के अतिरिक्त कोई नया मौहल्ला या छुटा हुआ मौहल्ला उसके पास के मौहल्ले के दरों के अनुसार सम्मिलित माना जायेगा। 2. सशोधित निर्धारित मासिक किराये के अनुसार वार्षिक मूल्य की गणना के लिये उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के निम्नांकित प्राक्खान यथावत लागू रहेंगे।

- कारपेट एरिया की गणना धारा 174 (1) के साथ दिये गये स्पष्टीकरण एक के अनुसार की जायेगी।
- मानक किराये के सम्बन्ध में धारा 174 (ख) के साथ दिये स्पष्टीकरण 2 तथा धारा 179 (घ) के प्राक्खान में यथावत लागू रहेंगे।
- भूमि एवं स्वामी द्वारा अध्यासित भवन तथा किराये पर उठाये गये आवासीय भवन के लिये छूट एवं बढ़ोतरी के प्राक्खान धारा 174 (2) के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।
- अधिनियम की धारा 174 के अन्तर्गत दिये गये अपवादों एवं छूटों को छोड़ते हुये सामान्य कर नगर में स्थित सभी आवासीय भूमि एवं भवनों पर लगाया जायेगा।
- बहुमंजिली इमारतों की दशा में उपरोक्त निर्धारित दरें ही लागू रहेंगी।
- स्वकर निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र (क) गृहकर विभाग में उपलब्ध है, भवन स्वामी/अध्यासी प्रपत्र प्राप्त कर भरकर नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- स्वकर निर्धारण प्रपत्र व कर न जमा करने वाले प्रकरणों में नगर निगम द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में पेनल्टी सहित कर निर्धारण कर के वसूली की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित मासिक किराये की दर अनावासीय भवनों के लिये भी लागू होगी। जिसकी गणना सम्पत्ति कर नियमावली द्वितीय संशोधन 2013 में दिये गये गुणांक के आधार पर की जायेगी।

(डा. उज्जवल कुमार)

नगर आयुक्त

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा